एकीकृत पैक हाउस बनाने के लिए एन एच बी के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध

भारत सरकार वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फसल की कटाई के बाद की विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान रही है। अपने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) के माध्यम से, सरकार बागवानी उत्पादों के लिए एकीकृत पैक हाउस, जिसमें कन्वेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयों, धुलाई, सुखाने और वज़न करने की सुविधाएं शामिल हैं, स्थापित करने पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

बोर्ड पात्र लाभार्थियों को 9 मीटर गुणा 18 मीटर के एकीकृत पैक हाउस के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। लाभार्थी ऐसी सुविधा बनाने के लिए परियोजना लागत के 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

सहायता का प्रतिरूप: 50 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में प्रति परियोजना की कुल लागत का 35% या 17.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों व अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50% या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। लाभार्थियों को नामित बैंकों से ऋण लेने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

उत्पादक, निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक/उपभोक्ताओं के समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन के संघ, कृषि उपज विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस ए यू) और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

एकीकृत पैक हाउस परियोजना के लिए पात्रता और लागत मानदंड के बारे में विवरण एन एच बी की वेबसाइट http://www.nhb.gov.in पर दिया गया है।